प्रयोजनमूलक हिंदी

बी.ए. द्वितीय वर्ष

(पेपर क्र. VIII)

सत्र – चतुर्थ (Semester – IV)

8.1.2 हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण के सिद्धांत

हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण के सिद्धांत

प्रस्तावना :-

पारिभाषिक शब्दावली पारिभाषिक शब्दों का समूह है। ये पारिभाषिक शब्द-विद्वान मंडली द्वारा बनाए जाते हैं। हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली हिन्दी शब्दों का संकलन नहीं है। यह अंग्रेजी शब्दों के पर्याय के रूप में निर्मित की गई है क्योंकि जब कोई भाषा-समाज स्वयं ज्ञान विकसित करने के बजाय किसी भाषा-समाज से तकनीकी ज्ञान ग्रहण करता है तो उसे उस भाषा-समाज की शब्दावली भी ग्रहण करनी पड़ती है। इस शब्दावली के आधार पर फिर वह अपनी भाषा में पर्यायों का निर्माण करता है। इस प्रकार पर्याय निर्माण की संकल्पना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अनुवाद प्रक्रिया निहित है क्योंकि मौलिक विषेषज्ञ ज्ञान और अनुवाद पर्याय के बीच एक मध्यस्थ शब्दावली की स्थिति रहती है, जैसे भारत के संदर्भ में अंग्रेजी शब्दावली मध्यस्थ शब्दावली की भूमिका निभा रही है।"7 इस प्रकार शब्दावली का निर्माण सरल-प्रक्रिया नहीं है। अनेक मत, सिद्धान्त, प्रयोग और उपयोगिता का आधार लेकर पारिभाषिक शब्दावली निर्मित की गई। दो अलग-अलग संस्कृति में शब्दों के पर्याय निश्चित करना अत्यंत कठिन कार्य रहा है किन्तु आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के संप्रेषण के लिए सांस्कृतिक परम्परा का त्याग भी करना पड़ता है। भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में हिन्दी की स्वीकृति के पश्चात् यह तय किया गया कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी की ज्ञान विज्ञान तथा प्रषासन की शब्दावली तैयार की जाए जिससे प्रशासनिक कार्यों, शिक्षा तथा न्याय के लिए विदशी भाषा के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग किया जा सके।

हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण के सिद्धांत

पारिभाषिक शब्दों का निर्माण **सृजन, ग्रहण, संचयन एवं अनुकूलन** जैसी चार प्रक्रियाओं से गुजर कर हुआ है। डॉ. रघुवीर ने प्रत्येक अंग्रेजी शब्द के लिए संस्कृत व्याकरण के अनुसार शब्द गढ़े। उन्होंने अरबी, फारसी, देशज शब्दों के स्थान पर संस्कृत का आधार लेकर नए शब्दों का निर्माण किया। उन्होंने समनुमोदन, वज्रचूर्ण,कठोराकिनी, समरूपण, जैसे शब्द बनाए।8 अफीम के लिए अहिफेन और सीमेंट के लिए वज्रधातु जैसे शब्द प्रचलन में नहीं आ पाए। डॉ. माई दयाल जैन ने डॉ. रघुवीर द्वारा बनाए शब्दों के सम्बन्ध में लिखा है-

•(१) हमें कम से कम संख्या में अत्यंत आवश्यक अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों को अपनाना चाहिए।

•(२) उनमें ध्वनि आदि का हेर फेर हमारी भाषा के अनुसार होना चाहिए।

•(३) उनसे नए शब्द हिन्दी या दूसरी प्रादेषिक भाषाओं के व्याकरण के अनुसार ही बनाने चाहिए।

ग्रहण :-

पारिभाषिक शब्द बनाते समय यह भी स्मरण रखा गया कि यदि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द पहले से किसी धारणा का व्यक्त करने में सक्षम हों तो नया शब्द गढ़ने के स्थान पर उस शब्द को ही स्वीकार कर लिया जाए। अंग्रेजी के मोटर, स्टेशन, टिकट, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मीटर, ग्राम, टेलीफोन, इंजेक्शन, ब्यूरो, कमीशन, ट्रेक्टर, प्रोटीन, रेफरी, हॉकी, कैरम, क्रिकेट, आउट, फॉलोआन, कम्प्यूटर, माउस, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जैसे अनेक शब्दों को स्वीकार कर लिया गया।

अरबी, फारसी शब्दों को भी प्रचलन, संप्रेषण और प्रयोग की सुविधा के आधार पर स्वीकार किया गया। फरार, गालीगलौज, हिसाब, हवाई-सर्वेक्षण करारनामा, हमलावर, मकान-किराया, वकालत, गैर जमानती वारंट जैसे शब्द प्रशासनिक शब्दावली में स्वीकृत हुए। पारिभाषिक शब्दावली में निर्माण के साथ-साथ 'ग्रहण' की प्रक्रिया को भी पूरा महत्त्व दिया गया। 'ग्रहण' करते समय अंग्रेजी का प्रत्येक शब्द स्वीकार नहीं किया गया। कम्प्यूटर शब्द यथावत ले लिया गया। किन्तु कम्प्यूटराइजेशन नहीं। इसके लिए कम्प्यूटरीकरण शब्द गढ़ा गया। इस तरह हिन्दी और भारतीय भाषाओं की पारिभाषिक शब्दावली को दो स्रोतों से शब्द ग्रहण करने पडे है। विज्ञान-तकनीकी क्षेत्र में अंग्रेजी से लेकिन कानून, प्रशासन, राजनीति से संबंधित कई शब्द अब हिन्दी के ही बन गए हैं।

संचयन :-

संचयन से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके अन्तर्गत भारतीय भाषाओं उपभाषाओं तथा बोलियों के उपयुक्त शब्दों का संचय पारिभाषिक शब्द के रूप में किया जाता है। इसमें चयन, निश्चयन तथा प्रयोग द्वारा संकलन की प्रक्रिया अपेक्षित है। अपनी भाषा की बोली, उपभाषा तथा प्रान्तीय भाषाओं में प्रचलित शब्दों में से आवश्यकतानुरूप शब्दों का चयन किया जा सकता है। ....''विद्वानों ने संचयन के माध्यम से अनेक शब्दों में से एक सही शब्द चुनकर पारिभाषिक शब्दावली को समृद्ध किया है। डॉ. रघुवीर के बाद शब्दावली आयोग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, राजभाषा आयोग और राज्यों के हिन्दी मंडल ने पारिभाषिक शब्द निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

इन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया और हिन्दी भाषा को गति प्रदान की इन सबने माना कि "हमारी पूरी शब्दावली अन्तर्मुखी होनी चाहिए न कि वह हिन्दी के नाम से हो या विदशी शब्दावली हो। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि भारत की प्राचीन, मध्यकालीन आधुनिक भाषाओं और विदेशी भाषाओं के शब्द आवश्यकतानुसार अपनाती हुई हिन्दी अपनी ही भीतर से विकसित हो। हिन्दी की वही वृद्धि और उन्नति स्थायी प्राकृतिक और स्वाभाविक होगी दूसरी सभी प्रकार की वृद्धि और उन्नति अप्राकृतिक और बनावटी होगी।11 संचयन की प्रक्रिया समाज-विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण मानी गई है।

अनुकूलन :-

पारिभाषिक शब्द निर्माण में ग्रहण, संचयन के साथ-साथ अनुकूलन भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अनुकूलन से आषय है पूर्व प्रचलित शब्दों को पारिभाषिक शब्द के रूप में अनुकूलन। नए, किलिष्ट, संस्कृतनिष्ठ शब्दों के स्थान पर पूर्व प्रचलित शब्द को पारिभाषिक शब्द के रूप में शब्दानुकूलन भी एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे एंजिन, लैन्टर्न, एकेडमी, ट्रेजेडी क्रमशः इंजन, लालटैन, अकादमी, त्रासदी में बदल गए। दो भाषाओं के मध्य संधि अथवा समासीकरण भी अनुकूलन ही है। कम्प्यूटरीकरण, अपीलीय, कलैंडर वर्ष आदि शब्द इसी अनुकूलन की प्रक्रिया के अन्तर्गत बने है। हिन्दी और अंग्रेजी में संस्कृति और जीवन में साम्य नहीं है किन्तु हिन्दी ने अनेक अंग्रेजी शब्दों को समाहित कर लिया है उन्हें परिवर्तन, सशोधन के पश्चात् स्वीकार करना व्यावहारिक होगा। कॉलेज, पुलिस, सुनामी शब्द का स्वीकार्य इसी अनुकूलन प्रक्रिया का परिणाम है।

शब्द-संग्रह :-

हिन्दी भाषा जनभाषा है। साहित्यिक भाषा के पूर्व ही यह दैनिक व्यवहार और बोलचाल की भाषा बन चुकी थी। पारिभाषिक शब्द निर्माण में शब्द-संग्रह भी महत्त्वपूर्ण हैं नए शब्द बनाने में अनावश्यक धन, श्रम और समय नष्ट करने के स्थान पर जन-सामान्य के बीच में प्रचलित शब्दों का संग्रह किया जाना भी महत्त्वपूर्ण है। ''हमारी शब्दावली न तो लोह-जाकट के समान कस देने वाली होनी चाहिए और न उसमें इतनी स्थिरता होनी चाहिए कि वह भविष्य में ठहरे हुए पानी के समान सड़ जाए या सूखकर मर जाए। किसी एक दृष्टिकोण के आधार पर बनी शब्दावली अधूरी और लंगड़ी होगी।

इस दिशा में भी बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है। भरपाई, भुगतान, भूलचूक जोड़ना, वसूली, पतालेखी, दाखिला, लाभ, फायदा, हवाई अड्डा, जोत, भत्ता, छूट, कहासुनी, शौकिया, गोला-बारूद, चिढ़, खीज, अनाम, गुमनाम, अर्जी, मनमाना, बकाया, आमद, तोपखाना, पारखी, बट्टे पर, कुर्की, नीलामी, पिछड़ा वर्ग, बिल्ला, सौदा, तहखाना, धमाका, झाँसा, छाप, ठप, टूटफूट ब्यौरा, पताका, हथकड़ी, पक्के नियम, बटोरन जैसे अनेक शब्द जनभाषा से संग्रह कर पारिभाषिक बनाए हैं। "इस जन-भाषा में उत्तर भारत में पुराने काल से चले आनेवाले सभी उद्योगों और व्यवसायों के पारिभाषिक शब्द न केवल भरे पड़े हैं, वरन् उनमें समय-समय पर नयी-नयी परिस्थितियों और प्रभावों के कारण नए-नए शब्द भी बनते रहे हैं। ..... भाषा विज्ञान की दृष्टि से उनमें कोई दोष नहीं है। इन शब्दों का स्थान न तो अन्तर्राष्ट्रीय शब्द ले सकते हैं और न संस्कृत निष्ठ शब्द। ये शब्द देश की अनमोल सम्पत्ति हैं और किसी भी कारण से इनकी उपेक्षा करना अपनी भाषा को हानि पहुँचाना है।

निष्कर्ष :-

नए शब्दों के प्रयोग से हिन्दी के व्यावहारिक, कामकाजी और प्रशासनिक क्षेत्र में प्रगति हुई है। हिन्दी को प्रतिष्ठा दिलाने में पारिभाषिक शब्दावली का महत्व पूर्ण योगदान है। इसी शब्दावली की सहायता से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी में कार्य करना संभव बनाया है। ये शब्द एकार्थी सुनिश्चित, सरल और प्रभावी होते है। कृत्रिम निर्माण, अनुकूलन, एकरूपता स्पष्ट अर्थवत्ता तथा स्वीकरण के द्वारा ज्ञान-विज्ञान की शाखाओं के लिए लगभग 08 लाख शब्द गढ़े गए हैं। विधि शब्दावली, मीडियाशब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, अन्तरिक्ष शब्दावली, मानविकी एवं समाज विज्ञान की पारिभाषिक, शब्दावली प्रकाशित एवं प्रचलित हो चुकी हैं। आयोग द्वारा कृषि, पशु-चिकित्सा कम्प्यूटर-विज्ञान, धातु-कर्म, नृ-विज्ञान, ऊर्जा, खनन, इंजीनियरी, मुद्रण-इंजीनियरी, रसायन इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिकी, वानिकी, लोक-प्रशासन, अर्थ-शास्त्र, डाक-तार, रेलवे, गृह-विज्ञान आदि विषयों के शब्द भी बनाए हैं। निरन्तर प्रयोग से इनकी अर्थवत्ता सिद्ध हो चुकी है। पारिभाषिक शब्दावली हिन्दी के प्रयोजनीय पक्ष के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है

धन्यवाद...

अस्वीकरण

निम्नलिखित वीडियों विभिन्न पुस्तकों , मीडिया , इंटरनेट अंतरिक्ष , आदि से एकत्र किए गए शोध और केस स्टडीज पर आधारित है । संतोषकुमार यशवंतकर और निर्माता वीडियो में निहित जानकारी की सटीकता , सामग्री , पूर्णता , वैधता या विश्वसनीयता के लिए किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व को स्वीकार नहीं करते हैं । वीडियो पूरी तरह से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है और किसी व्यक्ति , व्यक्तियों , संस्था , कंपनी या किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाने , चोट पहुंचाने या बदनाम करने के इरादे से नहीं बनाया गया है । इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म , समुदायों या व्यक्तियों की अफवाहों को फैलाना , अपमानित करना या उन्हें चोट पहुंचाना या किसी व्यक्ति (जीवित या मृत) के प्रति असहमति पहुंचाना नहीं है , दर्शक को हमेशा अपना परिश्रम करना चाहिए और जो कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है वीडियो में इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है । साथ ही , यह उनके स्वयं के जोखिम और परिणामों पर किया जाता है । इस वीडियो में शामिल सामग्री किसी भी क्षेत्र में सेवाओं या प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापन नहीं कर सकती है , लेकिन वित्तीय , चिकित्सा , मनोवैज्ञानिक या कानूनी मामलों तक सीमित नहीं है । डॉ । संतोषकुमार यशवंतकर और निर्माता वीडियो पर आधारित किसी भी कार्रवाई के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष , अप्रत्यक्ष , निहित , दंडात्मक , विशेष , आकस्मिक , या अन्य के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते हैं । डॉ । संतोषकुमार यशवंतकर और वीडियो के निर्माता किसी भी तरह के परिवाद , निंदा या किसी अन्य प्रकार के दावे या किसी भी प्रकार के दावे को स्वीकार करते हैं । दर्शकों को विवेक की सलाह दी जाती है शर्ते लाग करें ।

इस व्हिडियों / PPT का उदेश्य केवल अध्यापन के लिए है, न कि प्रसिद्धी पाने के लिए। इसका समग्र श्रेय सभी महानुभवों को जाता है जिन-जिनकी सामग्री का उपयोग यह बनाने के लिए हुआ है। मैं उन समस्तजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हुँ जिनकी सामग्री का उपयोग यह व्हिडियों / PPT के लिए हुआ है। यह मेरी कोई मौलिक उपलब्धी नहीं है और न ही कोई सृजनात्मकता। इस का उदेश्य केवल और केवल छाञों तक पहुँचाना हैं। इससे किसीके दिल को प्रत्यक्ष या परोक्षरुप से कोई ठेस या आहत पहुँचती है तो मैं उसके लिए क्षमाप्रार्थी हुँ - आपका प्रा.डॉ. संतोषकुमार यशवंतकर

JAI BHAWANI SHIKSHAN PRASARAK MANDAL'S

ARTS & SCIENCE COLLEGE SHIVAJINAGAR, GADHI

जय भवानी शिक्षण प्रसारक मंडळ, गेवराई संचलित (कला व विज्ञान महाविद्यालय शिवाजीनगर, गढी ता . गेवराई जि . बीड)

प्रा.डॉ. संतोषकुमार यशवंतकर